न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमशे सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 131/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/449

1. श्री शंकरलाल पिता देवाजी जाति लोहार आयु वयस्क निवासी मेडता तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता डालचंदजी जाति वीरवाल आयु वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री शांतिलाल पिता किशनलाल जाति लोहार आयु वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री भगवतीलाल पिता चुन्नीलालजी लोहार आयु वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थी ।

2. श्रीमती रेखा मीणा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.11.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता, तहसील मावली में प्रार्थी की जमीन स्थित है जिसके खेत खसरा नं. 313 रकबा 0.2428 एवं आराजी नम्बर 380 रकबा 0.0567 है, जो वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त जमीन के पड़ोस इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 313 के उत्तर में भगवतीलाल पीरवाल का मकान एवं खेत दक्षिण में शांतिलालजी लोहार का खेत बीड़ा है पूर्व में रोड डबोक से मेडता जाने का है तथा पश्चिम में आम रास्ता है इसी प्रकार आराजी नम्बर 380 के पडोस उत्तर में शांतिलालजी लोहार का खेत दक्षिण में भगवतीलाल पिता चुन्नीलालजी लोहार का खेत पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में शंकरलालजी प्रार्थी का स्वयं का खेत है। उक्त पडोसो बीच प्रार्थी की जमीन स्थित है।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 313 के उत्तर में विपक्षी श्री भगवतीलाल वीरवाल है जो वर्षों से मेरी जमीन में जबरन कब्ज[illegible]र आमादा रहा है तथा उत्तर की ओर उसने करीबन 7–8 फीट जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया तथा बाद में वापस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested

हटा लिया लेकिन वर्तमान में लडाई झगडा कर रहा है तथा कहता है कि तुम्हारी जमीन में मेरी जमीन निकल रही है। तुम सीमा जानकारी करवाओं जिससे साफ हो जायेगा निकलेगी तो मैं हट जाउंगा तथा तुम्हारी तरफ नारदे व छज्जा रख दिया है जो हटा लूंगा। मुझ प्रार्थी ने लड़ाई झगडा से बचने के लिये कानून का सहारा लेकर सीमा जानकारी का आवेदन माननीय तहसीलदार मावली के यहां प्रस्तुत किया जिन्होंने मन्जूर कर दिनांक 27–5–2025 को पटवारी मेडता के नाम सीमा जानकारी करने का आदेश प्रदान कर दिया।

3. यह कि वादकारण गतवर्ष 1.4.2025 में उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी ने कहा कि भगवतीलालजी तुम मेरी जमीन में नारदे मत रखो तथा मेरी जमीन में मत घुसो तो मरने मारने पर आमादा हुए जिसपर सीमा जानकारी कराई उस समय भी लड़ाई झगडा पर आमादा हुए, इसलिये पत्थरगडी कराना आवश्यक है।

4. अंत में निवदेन किया उक्त भूमि की पत्थरगढी कराई जावें ताकि प्रार्थी अपने हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक कर सकें, जिसमें विपक्षीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें, रूकावट पैदा नही करे, एवं कब्जा नहीं करें तथा दोनों पक्ष नपती के बाद अपनी अपनी हद में काबिज होकर उपयोग उपभोग करें डरावे धमकावे नहीं।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 3 उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी संख्या 5 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 2 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्रीमती रेखा मीणा द्वारा पेश किया गया। जवाब के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 553 पर दर्ज आराजी नम्बर 313, 380 किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 3 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि की नपती करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता [illegible] से विपक्षी संख्या 1 से 3 के हक अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2025.12.05 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested

हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जावेगी तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य मौके पर विवाद नही रहेगा। जिससे अनावश्यक मुकद्धमेबाजी भी नही बढेगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 553 पर दर्ज आराजी नम्बर 313, 380 किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण एवं पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण एवं पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
8. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested